

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 49 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांत

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1. राणाराम गोदपुत्र खेताराम	1. विरधाराम पुत्र सुखराम
2. जेठी पत्नी खेताराम जातियान ब्राहमण	2. वगताराम पुत्र सुखराम
3. भैराराम पुत्र किशनाराम	3. चम्पालाल पुत्र सुखराम जाति ब्राहमण निवासी मौखाव खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
4. दिनेश पुत्र किशनाराम	4. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
5. सायरदेवी पत्नी किशनाराम जाति जाट	
6. मदनलाल पुत्र मानाराम	
7. देवाराम पुत्र मानाराम	
8. देराजराम पुत्र मानाराम	
9. प्रतापाराम पुत्र मानाराम	
10. ओमप्रकाश पुत्र मानाराम	
11. भैराराम पुत्र मानाराम	
12. मूलाराम पुत्र मानाराम	
13. रूपाराम पुत्र हुकमाराम	
14. चम्पादेवी पत्नी हुकमाराम जातियान ब्राहमण समस्त निवासी मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी	


अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या
50/2019 बअनवान विरधाराम वगै. बनाम राणाराम वगै. निर्णय एवं
प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.10.2020 के विरुद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बाबुलाल विश्‍नोई अपीलान्त की ओर से।
2. वकील श्री हरीराम विश्‍नोई रेस्पोडेंटस की ओर से।

निर्णय

दिनांक:— 03.08.2022


राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 14 की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी के खेत मोजा मौखावा खुर्द में खसरा नम्बर 247 रकबा 34.17 बीघा, खसरा नम्बर 247/2 रकबा 02.12 बीघा का आया हुआ है जिस भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/16 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 03 से 05 का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 06 से 12 का 5/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 13 से 14 का 5/6 हिस्सा खातेदारी का है तथा इसी अनुसार वाहामी बंटवाडा किया हुआ है व राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान के मध्य हिस्से नहीं खुले हुए है तथा विधिवत रूप से बंटवाडा किया हुआ नहीं होने से हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया, जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलव किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटगण को उतरदाता संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता ने धोखे में रखते हुये नियत पेशी तारीख से पूर्व दिनांक 31.09.2019 को पत्रावली पेशी पर लेकर एक राजीनामा व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाडा करवाना हेतु पेश करवा दिया तथा उसी दिन वादी विरधाराम व प्रतिवादी मनलाल का साक्ष्य शपथ-पत्र पेश किया गया उक्त राजीनामा के आधार ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.10.2020 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.05.2020 को पेश राजीनामा पर अपीलांट ओमप्रकाश व मूलाराम के हस्ताक्षर नहीं है जबकि विधि अनुसार राजीनामा पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर व सहमति आवश्यक है तथा प्रतिवादीगण की पहचान भी किसी भी अधिवक्ता के हस्ताक्षर नहीं है तथा अपीलांटगण की ओर से पेश वकालतनामा पर भी किसी अधिवक्ता नाम व हस्ताक्षर नहीं है, जिससे स्पष्ट प्रमाणित है कि वादीगण के अधिवक्ता की धोखाधड़ी व चालाकी स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रही है कि समस्त कार्यवाही एकपक्षीय की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांत अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया:-

RRT 2016(1) Page 108

RRT 2017(1) Page 446

वकील रेस्पोंडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 14 की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी के खेत गोजा गौखावा खुर्द में खसरा नम्बर 247 रकबा 34.17 बीघा, खसरा नम्बर 247/2 रकबा 02.12 बीघा का आया हुआ है जिस भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/16 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 03 से 05 का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 06 से 12 का 5/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 13 से 14 का 5/6 हिस्सा खातेदारी का है जिसे घोषित करना न्यायोचित है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री में घोषित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उपभयपक्ष के मध्य लोक अदालत की भावना से हुए राजीनामा के अनुसार पारित की गई। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अपीलांत दावे को लंबित करने की नियत से अपील पेश की गई है। अपीलांत सदभाविक एवं स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं है। इसलिए अपीलांत की अपील खारिज फरमायी जावे। रेस्पोंडेंटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

RRT 2016-17(Supp.) Page 158

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांत ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि इस प्रकार प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.10.2020 को अपीलांतगण को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना ही गलत रूप से जारी किया गया है तथा हस्तगत डिक्री व निर्णय की इबारत के बारे में अपीलांतगण को तत्समय जानकारी नहीं होने दी गई तथा वर्तमान में अरसा 20-25 दिन पूर्व हल्का पटवारी व आर आई मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आये तथा भूमि की पैमाईश कर बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बंटवाडा करने लगे, जिस पर अपीलांतगण ने इस प्रकार बंटवाडा नहीं कर मोके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त व पूर्व में किये गये बाहामी बंटवाडा के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया जिस पर हल्का पटवारी व

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाइमेर

आर आई ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बताकर वाई मीट्स एण्ड वाउण्ड बंटवाजा करवाने का बताया, जिस पर अपीलांटगण को अपना हक हकुक संशयप्रद लगा तो अपीलांट ने दूसरा अधिवक्ता नियुक्त हस्तगत निर्णय एवं डिक्री मय दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने हेतु कहा जिस पर अधिवक्ता द्वारा दिनांक 16.07.2021 को प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री की नकले प्राप्त की तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर गियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सदभाविक है अतः अपील अन्दर गियाद शुमार की जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

RRT 2011(2) Page 1350

वकील रेस्पोंडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सदभाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक-एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। रेस्पोंडेंटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

RRT 2016-17(Supp.) Page 158

RRT 2011(2) Page 851


उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्षकारान के मध्य लोकअदालत की भावना से हुए राजीनामा के आधार पर पारित की गई। हस्तगत अपील में अपीलांटगण द्वारा हिस्से को लेकर कोई आपत्ति नहीं की गई जबकि अपीलाधीन निर्णय से हिस्से की घोषणा की गई है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अपीलांटगण द्वारा रेस्पोंडेंट को नाहय तंग व परेशान करने की नीयत से हस्तगत अपील पेश की गई। अपीलांट येन-केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर


राजस्व अपील प्राधिकारी
बाइमेर

इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और ये न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांट के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 50/2019 बअनवान विरधाराम वगै. बनाम राणाराम वगै. निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.10.2020 को यथावत रखा जाता है।


(प्रतिवादी पिलानिया)
राजस्थान अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 03.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


राजस्थान अपील प्राधिकारी
बाड़मेर